न्यायालय अति. जिला कलक्टर, बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – नरेश बुनकर, RAS

अति. जिला कलक्टर, बांसवाड़ा
प्रकरण संख्या : 07/ 2021
रजिस्ट्रेशन संख्या : 2021/39

प्रार्थी/अपीलार्थी :–		अप्रार्थी /रेस्पोण्डेंट्सः–
श्री मुकेश पिता तोलसिंह जाति भील निवासी वडलीपाडा तहसील कुशलगढ जिला बॉसवाडा	बनाम	तहसीलदार कुशलगढ जिला बॉसवाडा

उपस्थित

श्री यशपाल गुप्ता अधिवक्ता

निर्णय

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम

अपील विरुद्ध निर्णय न्यायालय, तहसीलदार तहसील कुशलगढ, जिला बॉसवाडा, प्रकरण संख्या 05/2020 अन्तर्गत धारा 91 भूराजस्व अधिनियम 1956, निर्णय दिनांक 22–03–2021 के विरुद्ध अपील

दिनांक :– 28.12.2021

प्रस्तुत मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलांट श्री मुकेश पिता तोलसिंह जाति भील निवासी वडलीपाडा तहसील कुशलगढ जिला बॉसवाडा के विरुद्ध तहसीलदार कुशलगढ द्वारा धारा 91 भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रकरण सं. 05/2020 दर्ज कर दिनांक 22.03.2021 को अतिक्रमी को ग्राम वडलीपाडा की अतिक्रमित भूमि जिस पर अपीलार्थी द्वारा 15X26 फीट पर बनाये गये मकान को भूमि से हटाकर बेदखल करने निर्णय पारित किया है। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

प्रस्तुत अपील के साथ ही प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सी.पी.सी प्रस्तुत किया गया है।

Signature Not Verified

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेंट को सम्मन जारी किया गया।

Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2022.04.18 13:05:19 IST
Reason: SelfAttested

रेस्पोडेंट तहसीलदार, कुशलगढ द्वारा दिनांक 08-07-2021 से इस आशय का जवाब प्रस्तुत किया गया कि न्यायालय के प्रकरण सं. 05/2020 में पारित निर्णय पूर्ण रुप से प्राकृतिक न्याय के अनुकूल होकर पूर्णरुप से अपीलार्थी द्वारा किये गये अतिक्रमण के साक्ष्यो पर आधारित है। अपीलार्थी द्वारा राजस्व

(नरेश बुनकर)

ग्राम वडलीपाडा के खसरा संख्या 58 में संवत् 2076 में अतिक्रमण कर मकान निर्माण की रिर्पोट पटवारी हल्का रामगढ द्वारा पी–14 रिर्पोट एवं रिर्पोट से प्रमाणित है। अपीलार्थी द्वारा अपना प्रश्नगत भूमि पर वर्षो पुराना कब्जा किया जाने के सम्बन्ध में कोई ठोस साक्ष्य वक्त सुनवाई प्रस्तुत नही किये थे। अपीलार्थी द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 का उल्लंघन करते हुए वर्जित किस्म चरागाह पर अतिक्रमण कर रखा है। जिसे हटाने हेतु न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया गया है।

दिनांक 12.10.2021 को रेस्पोडेंट तहसीलदार कुशलगढ की ओर से लिखित बहस प्रस्तुत हुई। दिनांक 20–12–2021 को अपीलांट की ओर से अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत बहस सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम के सन्दर्भ में कथन किया कि अपीलार्थी अनुसूचित जनजाति ग्रामीण क्षेत्र का निवासी है तथा नियमो से अनभिज्ञ है। अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय की प्रति जरिये रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 08.06.2021 को प्राप्त हुई। इससे पूर्व प्रार्थी को प्रकरण के निर्णय व आदेश की जानकारी नही थी। अपील को अन्दर अवधि मानकर विचारार्थ ग्राह्य किये जाने निवेदन किया। अतः अपील जहां तक म्याद बाहर होने का प्रश्न है। बहस सुनने के पश्चात् हम इस नतीजे पर पहूँचे है कि प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर होना चाहिये। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम स्वीकार किया जाता है।

अपीलांट के अधिवक्ता की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सी.पी.सी के सन्दर्भ में कथन किया गया कि अपीलार्थी को विधिवत अधिनस्थ न्यायालय से नोटिस प्राप्त नही होने से जवाब दावा, पब्लिक डॉक्युमेंट एवं दस्तावेज समय पर प्रस्तुत नही कर सका। उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार कर संलग्न दस्तावेज रेकार्ड पर लेने निवेदन किया। प्रार्थना पत्र पर बहस सुनने के पश्चात् हम इस नतीजे पर पहुचे है कि प्रकरण 05/2020 लगभग 9 माह तक अधिनस्थ न्यायालय में विचाराधीन था, अपीलार्थी द्वारा उक्त प्रकरण में दिनांक 22.09.2020 को जवाब प्रस्तुत किया गया था उसके पश्चात् भी अपीलार्थी को साक्ष्य एवं दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु पर्याप्त अवसर थे। किन्तु तत्समय अपीलार्थी साक्ष्य एवं दस्तावेज प्रस्तुत करने में असफल रहा है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सी.पी.सी अस्वीकार किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2022.04.18 13:05:19 IST
Reason: SelfAttested

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील पर बहस प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि रेस्पोडेंट ने पटवारी पटवार मण्डल रामगढ द्वारा प्रस्तुत मौका पर्चा प्रस्तुत कर अपीलार्थी के विरुद्ध कार्यवाही करने निवेदन

(नरेश बुनकर)

करने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज कर नोटिस जारी किया। अपीलांट द्वारा जरिये अधिवक्ता दिनांक 22.09.2020 को नोटिस का जवाब प्रस्तुत किया गया तत्पश्चात् दिनांक 15.03.2021 को अपीलार्थी के विरुद्ध अनुपस्थिति दर्ज कर एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किये गयें। दिनांक 22.03. 2021 को प्रकरण में अपीलार्थी को भूमि से बेदखल करने एवं अर्थदण्ड से दण्डित करने निर्णय पारित किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कोई जॉच नही की गई है तथा साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान नही करते हुए प्रकरण सीधे बहंस हेतु नियत कर निर्णय पारित किया गया। अधिनस्थ न्यायालय ने पक्षकारो को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर नही दते हुए निर्णय पारित कर त्रुटी की है। अपीलार्थी अपने पूर्वजो के समय से सेटलमेंट के पूर्व से काबिज है तथा उनके पक्ष में ठोस दस्तावेजी साक्ष्य विधुत कनेक्शन तथा ग्राम पंचायत के द्वारा मकान पर चस्पा किया गया मकान का बिल्ला, राशनकार्ड में मकान का नंबर, वोटर लिस्ट आदि में ठोस दस्तावेजी साक्ष्य होते हुए प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान नही किया है। ग्राम पंचायत वडलीपाडा की भूमि सर्वे नंबर 58 जिसमें अपीलार्थी के द्वारा अतिक्रमण करना बताया गया है उक्त भूमि ग्राम पंचायत रामगढ के नाम दर्ज रेकार्ड है। ग्राम पंचायत रामगढ की कोई शिकायत नही है तथा ना हि अपीलार्थी के विरुद्ध कार्यवाही करने के पूर्व ग्राम पंचायत को कोई नोटिस दिया गया है। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.03.2021 निरस्त करने निवेदन किया।

रेस्पोडेंट की ओर से दिनांक 12.10.2021 को लिखित बहस पेश की गई। लिखित बहस संक्षिप्त में इस प्रकार है कि न्यायालय के प्रकरण संख्या 05/2020 में पारित निर्णय पूर्ण रुप से प्राकृतिक न्याय के अनुकूल होकर पूर्ण रुप से अप्रार्थी द्वारा अतिक्रमण के साक्ष्यो पर आधारित है। अपीलार्थी द्वारा राजस्व ग्राम वडलीपाडा के खसरा संख्या 58 में संवत् 2076 में अतिक्रमण कर मकान निर्माण की रिर्पोट पटवारी हल्का रामगढ द्वारा पी–14 आदि तथा अधीनस्थ न्यायालय से गठित टीम के मौका जॉच एवं समझाईश रिर्पोट दस्तावेजी साक्ष्य अपीलार्थी के अतिक्रमण को प्रमाणित करने हेतु पर्याप्त है। जिसके अनुसार न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया है। अपीलार्थी अथवा उनके अधिवक्ता की ओर से व्यक्तिगत अथवा किसी [illegible] साक्ष्य से [illegible] भूमि पर सेटलमेंट से पूर्व काबिज होने का कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य, गवाह पेश नही किया गया। अधीनस्थ न्यायालय को राजस्थान काश्तकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2022.04.18 13:05:19 IST
Reason: SelfAttested

(नरेश बुनकर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, बांसवाड़ा

अधिनियम, 1955 की धारा 91 के अन्तर्गत चरागाह एवं सिवायचक भूमि पर अतिक्रमण की सूचना अथवा स्वप्रेरणा से भी प्रकरण दर्ज कर अतिक्रमण हटाने की शक्तियॉ प्राप्त है। अतः अप्रार्थी द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 का उल्लंघन कर वर्जित किस्म चरागाह पर अपीलार्थी द्वारा अतिक्रमण किया गया। जिसे हटाने हेतु न्यायालय हाजा द्वारा उक्त निर्णय पारित किया गया है।

हमने अपीलांट की ओर से प्रस्तुत बहस एवं रेस्पोडेंट की लिखित बहस पर मनन किया एवं पत्रावली मे उपलब्ध अभिलेखों का गहनतापूर्वक अवलोकन किया। अपीलांट श्री मुकेश पिता तोलसिंह निवासी वडलीपाडा तहसील कुशलगढ जिला बॉसवाडा के विरुद्ध भू अभिलेख निरीक्षक रामगढ एवं पटवारी पटवार हल्का रामगढ द्वारा रिपोर्ट कर ग्राम वडलीपाडा की आराजी नंबर 58 रकबा 1.96 एकड किस्म चरागाह मे से 15X26 फीट भूमि पर अवैध रुप से अतिक्रमण कर मकान का निर्माण किया। भूराजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज कराया गया है। भूअभिलेख निरीक्षक रामगढ, पटवारी हल्का रामगढ की जॉच, मौतबिरानो के रुबरु तैयार किया गया मौका पर्चा दिनांक 08.07.2020 के आधार पर तहसीलदार कुशलगढ द्वारा प्रकरण दर्ज कर दोनो पक्षो को विधि सम्मत सुनते हुए प्रश्नगत निर्णय दिनांक 22–03–2021 पारित किया गया है। हम अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 05/2020 निर्णय दिनांक 22–03–2021 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप उचित नहीं समझते हैं। अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को यथावत् रखते हुए अपील अपीलार्थी निरस्त की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 28.12.2021 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

नरेश 28/12/2

(नरेश बुनकर)
अति. जिला कलक्टर
बांसवाड़ा

(नरेश बुनकर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, बांसवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2022.04.18 13:05:19 IST
Reason: SelfAttested